न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 49/2019 दायरा दिनांक : 01.07.2019

उनवान

मोती लाल पुत्र रतन लाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रभू वल्द कान्हा, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– भूरालाल आत्मज स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– कालू लाल आत्मज स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– कलावती पुत्री स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4– ललता पुत्री स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– सुरजा बाई पुत्री रतन लाल बेवा कालू, जाति मीणा, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– देव बाई पुत्री रतन लाल पत्नी पूरीलाल, जाति मीणा, निवासी दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– शाखा प्रबन्धक झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अकलेरा

5– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

6– नन्द किशोर आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

7– रंगलाल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

9– शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 32/2019 दायरा दिनांक : 27.05.2019

उनवान

मोती लाल पुत्र रतन लाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रभू वल्द कान्हा, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– भूरालाल आत्मज स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2– कालू लाल आत्मज स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3– कलावती पुत्री स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4– ललता पुत्री स्वर्गीय प्रभू, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– सुरजा बाई पुत्री रतन लाल बेवा कालू, जाति मीणा, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– देव बाई पुत्री रतन लाल पत्नी पूरीलाल, जाति मीणा, निवासी दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(अलेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4– शाखा प्रबन्धक झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अकलेरा

5– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

6– नन्द किशोर आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– रंगलाल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

9– शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.02.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 45/दावा/2015 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2017 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील संख्या 49/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के एक तरफा डिक्री एवं निर्णय, पत्रावली संग्रहसार एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध अपने अधिकारों से परे जाकर धारा

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे को अकारण ही एक तरफा प्राथमिक डिक्री पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिये बिना ही या अन्य प्रकार से सूचित किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय एवं सी पी सी के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2017 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 32/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के एक तरफा डिक्री एवं निर्णय, पत्रावली संग्रहसार एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध अपने अधिकारों से परे जाकर धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे को अकारण ही एक तरफा प्राथमिक डिक्री पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त डिक्री एवं निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प देवली में अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही या अन्य प्रकार से सूचित किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय एवं सी पी सी के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पेपर पार्टीशन दिनांक 13.06.2018 को करने से पूर्व अपीलांट को विधि अनुसार कोई नोटिस जारी नहीं किया और अपीलांट एवं तहसीलदार की अनुपस्थिति में रिर्पोट तैयार की है जिसमें की अन्य सहखातेदारों की आराजी का कोई हवाला भी नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं है । इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 14.06.2018 अपास्त की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.05.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
लोटा (राज.)

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना नहीं की है । मौका रिपोर्ट भी पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है तथा मौके पर तहसीलदार उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः अपील स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 14.05.2019 पेज 281, 196] The Code of Civil Procedure, 1908 [Order V उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक रिकार्ड प्रारम्भिक डिक्री जारी की है एवं उसी अनुरूप अन्तिम डिक्री भी जारी की है, जो उचित है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीले न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान करने का उल्लेख किया है । प्रतिवादीगण अपीलांट नम्बर 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बन्द किया गया है । प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 6, 8 को दिनांक 27.07.2015 व प्रतिवादी संख्या 7 को दिनांक 12.01.2016 को बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है । प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर फैसले से कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया । प्रतिवादी नम्बर 1 के फौत होने पर उसके कायम मुकामान बनाकर तलब किया जो

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
लोढ़ा (राज.)

बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 29.03.2016 व 03.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई । ऐसी स्थिति में प्रकरण में उभयपक्षकारों को सुनवायी का पूर्ण अवसर दिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का मुताबिक रिकार्ड रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 वादीगण के पक्ष में 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी का दिया गया है जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 32/2019 एवं 49/2019 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2017 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.06.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा